''वमिन कुल्लि शैइन ख़लक़्ना ज़ौजैनि लअल्लकुम तज़क्करून''

(अज़्ज़ारियात आयत–49)

काएनात में 'शादी' करने का दस्तूर

हुज्जतुल इस्लाम हुसैन अन्सारियान
अनुवादक : मु0 र0 आबिद

कोई भी जानवर किसी भी दूसरी तरह (Species) के जानवर की ओर मिलान नहीं करता जबकि वह भी जानवर ही होता है और उसमें भी सेक्स होता है। उनमें कोई भी नर अपने सेक्स को नापाकी और ग़लतकारी से गन्दा नहीं करता वे सेक्स के बारें में भटकते नहीं हैं।

नर जानवर का नुतफ़ा (या वीर्य / Sperm) उसी मादा के लिए है जो उससे ख़ास है। इस सिलसिले में वह दूसरे (की मादा) की ओर देखता भी नहीं। वह एक दूसरे को ग़लत निगाह से देखते भी नहीं। अपनी मादा को छोड़ दूसरे की मादा पर हाथ साफ़ नहीं करते। इस बारे में अण्डे वाले और छाती या थन वाले (Mammal) जानवरों में कोई फ़र्क़ नहीं होता।

चरने वाले, उड़ने वाले, धरती पर रेंगने वाले और पानी वाले जानवरों की ज़िन्दगी के सारे मुद्दे ख़ासकर नस्ल बढ़ाने के सिलसिले में जो संयम–नियम (Discipline) पाया जाता है वह समझदारों के लिए हैरत से भरपूर है। जिन क़ानूनों और हालतों में जानवर ज़िन्दगी बिताते हैं वह उन लोगों के लिए नसीहत के सबक़ है जो सचाई के रास्ते से दूर हो गये हैं और ज़िन्दगी की अस्लियत और चमक गवां बैठे हैं। जानवरों के बीच ऐसा ही सूत्रपात और बन्धन है जैसा सूरज, चाँद, ज़मीन, आसमान और पेड़–पौधों, मिट्टी–पत्थर (बेजान) के बीच है।

इन्सान और शादी–बियाह

जानवरों, पेड़–पौधों और मिट्टी–पत्थर (बेजान चीज़ों) में जोड़े बनाना, बच्चे होना और नस्ल बढ़ना, यह सब प्रकृति के (ख़ुदाई) क़ानूनों की बुनियाद पर और मनोवृत्ति या अस्लियत के सही रास्ता पकड़ने से होता है। लेकिन इन्सानों में ज़िन्दगी के इस मसले और प्रकृति के इस मन्सूबे (Plan) का शरीयत (मज़हब के क़ानून) के तय की गयी हदों में और उन ख़ुदाई क़ानूनों के आधार पर होना चाहिए जो क़ुर्आन मजीद में और नबियों, इमामों की हदीसों (पाक कथनों) में बताये गये हैं।

इस सचाई की शुरुआत ख़ुदा के इरादे के साये में चाह, दोस्ती, प्यार और मर्द औरत के बीच नरमी से होती है :–

''और उसकी निशानियों में से यह भी है कि उसने तुम्हारा जोड़ा तुम्ही में से पैदा किया ताकि तुम्हें चैन मिले और फिर तुम्हारे बीच मुहब्बत और दया रख दी। इसमें उन लोगों के

लिए निशानियाँ हैं जो सोचते समझते हैं।''

(कुर्आन मजीद)

''और ख़ुदा वह है जिसने आदमी को पानी से पैदा किया और फिर उसे ख़ानदान और ससुराल वाला बना दिया और आपका पालने वाला (ख़ुदा) बहुत सकत (सामर्थ्य) रखने वाला है।''
(कुर्आन मजीद)

शादी करना खुद ही इस्लाम में मुस्तहब (वह काम जिसके करने में सवाब और न करने में अज़ाब न हो।) और चहीता काम है। लेकिन यह उस हालत में है जब बिना शादी के रहने से पाप–गुनाह में पड़ जाने का अन्देशा न हो और ग़लत बेहूदे कामों में घिर जाने का डर न हो, वरना शादी करना वाजिब (ज़रूरी – जिसके करने में सवाब और न करने में अज़ाब हो) है। इस हालत में शादी के बारे में ख़ुदा के हुक्म का दिल व जान से पालन करें और आने वाले समय में होने वाले ख़र्चों का डर मन में न लाएँ क्यों कि आने वाले समय में ज़िन्दगी बिताने के बारे में डरे–सहमे रहना, शैतानी काम है। इससे मन कमज़ोर होता है और यह दुनिया चलाने वाले (ख़ुदा) पर भरोसा न होने का कारण है।

'नूर' के सूरे में एक आयत में ख़ुदा शादी करने का हुक्म और ख़र्चे पूरे करने की ज़मानत को इस तरह बयान करता है :–

''अपनी कुँवारी लड़कियों, लौंडियों (दासियों) और अपने नेक गुलामों (दासों) का निकाह कर दो और उनकी शादी का सामान कर दो, इस तरह अगर वे ग़रीब हैं तो ख़ुदा अपने फ़ज़्ल (दया) से उन्हें मालामाल कर देगा, और ख़ुदा (बड़ा) फ़ैलाव वाला और जानने वाला है।''

कुर्आन मजीद में यहाँ जो अरबी का शब्द आया है वह अरबी व्याकरण से लोट–लकार (आज्ञा/आदेश देने वाला) है जिससे समाज का कोई भी एक (आदमी) छूटा नहीं है यानी औरत मर्द सब पर यह हुक्म लागू होता है।

जिन लोगों को शादी की ज़रूरत है यह आयत उनके लिए शादी को वाजिब कर देती है। चूँकि इसके बग़ैर वह चाल–चलन के पाक नहीं रह सकते। एक लिहाज़ से यह बात समझ में आती है कि ख़ानदान वालों, ख़ासकर माँ–बाप और मालदारों को चाहिए कि वे लड़के–लड़कियों की शादी के सिलसिले में अगुवाई करें।

(जारी)